भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2190

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

गरीब महिला कैदियों को विधिक सहायता

2190 # श्री नीरज डांगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गरीब महिला कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वकीलों की नियुक्ति हेतु क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वकीलों द्वारा ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं । विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा लीगल स्वयंसेवी (पीएलवीएस) और रिमांड अधिवक्ताओं द्वारा अपने कारागार निरीक्षक वकीलों, कारागार विधिक सेवा क्लीनिक मानवयुक्त के माध्यम से सभी कैदियों जिसमें महिला कैदी भी हैं, को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं । वर्ष 2020 और 2021 में, 38477 महिला कैदियों को कारागार विधिक सेवा क्लीनिक के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की गई थी और 6018 महिला कैदियों को अन्य पद्धतियों के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की गई थी । इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा संस्थाएं मजिस्ट्रेट न्यायालयों और सेशन न्यायालयों में, जहां कहीं अपेक्षित हो, रिमांड अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है । जून, 2022 तक 8298 रिमांड अधिवक्ता दांडिक न्यायालयों में गिरफ्तार लोगों को जिसमें महिलाएं भी हैं, को विधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त, कारागारों में कैदियों जिसमें महिला कैदी हैं को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता और जमानत के अधिकार सहित विधिक अधिकारों के बारे में जागरुक करने के लिए जागरुकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) रिमांड वकीलों द्वारा उपस्थित होने वाले कैदियों के मामले से संबंधित डाटा संकलित करता है । यह डाटा वर्ष 2021 से उपलब्ध है । वर्ष 2021 के दौरान, कैदियों के जिनमें महिला कैदी भी हैं के 117971 रिमांड मामलों में, रिमांड वकीलों द्वारा उपस्थिति हुई थी, जिनमें से 48435 मामलों में जमानत के लिए आवेदन फाइल किया गया था और 23115 मामलों में जमानत स्वीकृत की गई थी ।

****